

छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम् रायपुर (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग का उपक्रम)



वार्षिक प्रतिवेदत

वर्ष 2015-16

अनुक्रमणिका

| क्र | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|-----|--|---------------|
| 1. | निगमन का प्रमाण पत्र | 01 |
| 2. | कारोबार प्रारम्भ करने के लिए प्रमाण पत्र | 02 |
| 3. | निगम की योजनाएं | 3-5 |
| 4. | निगम की पद संरचना | 06 |
| 5. | वार्षिक प्रतिवेदन | 7-10 |
| 6. | महालेखाकार की टिप्पणी | 11-14 |



निगमन का प्रमाण पत्र

Certificate of Incorporation

No U 85320 CT 2004 NPL 16765

में एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि छत्ती सगद् निः शक्त जन वित्त

आवाम विकास निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित की गई है और कम्पनी परिसीमित है।

hereby certify that _____CHHATTISGARH NISHAKAT JAN VITT VIKAS NIGAM

is this day incorporated under the Companies Act. 1956 (No. 1 of 1956) and that the Company is limited by shares.

मेरे हस्ताक्षरसे आज तारीख अठ्ठाईस आघाद शक उन्नीस सौ एट्डीस को दिया गया।

Given under my hand at GWALIOR this

day of_

Two Thousand __

FOUR



Registrar of Companies

Madhya Pradesh & Chhattisgarh करपनी रिवस्ट्रार क्रम प्रदेश रव बचीबण



सत्यमेव जयते

कारबार प्रारम्भ करने के लिए प्रमाण-पत्र

Certificate for Commencement of Business कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 149 (3) के अनुसरण में 149 (3) of the Companies Act. 1956

| Pursuant of Section 149 (5) of The | Dayle |
|--|--|
| Pursuant of Section का सं | 1 |
| Noof 2004 | 1 |
| NO | 1 |
| में एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि क त्ती सगढ़ निः शकत-जन वित्त एवम् | T |
| | 0 |
| विकास निगम | Ť |
| 19.7.2004 | 一 |
| जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन तारीख को नगमित की गई थी | T |
| और जिसने आज विहित प्रारूप में सम्यक् रूप से सत्यापित घोषणा फाइल कर दी है कि उक्त | S. S |
| अरि जिसने आज विहित प्रार्थिय न राज्य है जिस्स (म) तक (149 (2) (क) से लेकर (म) तक की न | T |
| अधिनियम की धारा 149 (1) (क) से लेकर (घ) तक/149 (2) (क) से लेकर (ग) तक की शतों का | 1 |
| अनुपालन किया गया है, कारबार प्रारम्म करने की हकदार है! CHHATT ISGARH NISHAKAT-JAN VITT AVAM | V |
| I hereby certify that the | 200 |
| भे एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ह त्ती सगढ़ निः शक्त-जन वि त्त एवम् विकास निगम 19.7.2004 को कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन तारीख और जिसने आज विहित प्रारूप में सम्यक् रूप से सत्यापित घोषणा फाइल कर दी है कि उक्त अधिनियम की धारा 149 (1) (क) से लेकर (घ) तक/149 (2) (क) से लेकर (ग) तक की शतों का अनुपालन किया गया है, कारबार प्रारम्म करने की हकदार है! अनुपालन किया गया है, कारबार प्रारम्म करने की हकदार है! VIKAS NIGAM • | M |
| <u> </u> | 3 |
| T | 汝 |
| 19th | S. C. |
| which was incorporated under the Companies Act, 1956 on the 19th | X |
| day of JULY, 2004. and which has this day filed | de |
| which was incorporated under the Companies Act, 1956 on the 19th day of 19 and which has this day filed a duly verified declaration in this prescribed from that the conditions of section 149 (1) (a) to (d)/149 (2) (a) to (c) of the said Act have been complied with is entitled to | N. |
| (a) to (d)/149 (2) (a) to (c) of the said Act, have been complied with is entitled to | T |
| | T. |
| | ** |
| मर हस्ताक्षर से यह तारीख | 1 |
| 7 141 141 1 | " |
| Give under my hand at | 1 |
| this TWENTY FIRST day of JUNE and TWO THOUSAND FIVE. | 1 |
| day of JUNE | |
| and TWO THOUSAND FIVE. | 1 |
| X | 1 |
| क्रिप्पनी रिजिस्ट्रो | 4 |
| The state of the s | 1 |
| Street of Comp | 9 |
| To a still of Company of the Tought | 1 |
| | 9 |
| कम्पनियों का रिजस्ट्रार | 1 |
| निमानया का | 1 |



उत

खर्

किसी

स्वरो

माता-

छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा रूपये 5 करोड़ की अंशपूंजी से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में दिनांक 20 मई 2004 को स्थापित की गई है। यह पूर्णतः छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व में है। कम्पनी के प्रबंधन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। इसे समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम को नेशनल हेन्डीकेप्ड फायनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन की चैनेलाईजिंग एजेन्सी दिनांक 06.09.2004 को घोषित किया गया है राज्य में दिव्यांगजनों को नेशलन हेन्डीकेप्ड फायनेंस एण्ड कार्पोरेशन के शतों के अधीन ऋण स्वीकृत किया जा रहा है।

- दिव्यांगजनों के लाभ हेतु आर्थिक विकास के क्रियाकलापों एवं स्वरोजगार उद्यमों को बढ़ावा देना।
- दिव्यांगजनों को स्वरोजगार उद्यमों के उचित एवं दक्ष प्रबंधन के लिए उनके उद्यमी कौशल को उन्नत करने के लिए ऋण देना।
- दिव्यांगजनों को व्यावसायिक पुनर्वास/स्वरोजगार के योग्य बनाने वाली व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण देना।
- स्वरोजगार में लगे दिव्यांगजनों को उनके द्वारा तैयार माल के विपणन के लिए सहयोग प्रदान करना।

निगम की योजनाएं :-

निगम द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को आय प्रदान करने वाली व्यापक गतिविधियों में सहायता दी जाती है, जो इस प्रकार है :-

• सेवा / व्यापार क्षेत्र में लघु व्यवसाय लगाने के लिए :— बिक्री व्यापार क्रियाकलापों के लिए 5 लाख रूपए तक एवं सेवा क्षेत्र के क्रियाकलापों के लिए 10 लाख रूपए तक ऋण दिया जाता है।

• कृषि क्रियाकलापों के लिए :— 10 लाख रूपए तक ऋण दिव्यांग व्यक्तियों को कृषि उत्पादन, सिचाई, बागवानी, रेशम उत्पादन, कृषि कार्य सेवा, कृषि उत्पादन के विपणन आदि के लिए कृषि मशीनरी / उपकरण की खरीद के लिए ऋण सहायता दी जाती है।

- वाहन क्रय करने के लिए :10 लाख रूपए तक ऋण वाणिज्यिक किराये पर देने के उद्देश्य से ऑटो रिक्शा सहित
 किसी भी वाहन खरीद पर।
- मानसिक मंदता, मस्तिष्क पक्षाघात तथा विचार भ्रम से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए – 10 लाख रूपए तक ऋण।

मानिसक मंद, मस्तिष्क पक्षाघात तथा विचारभ्रम से ग्रस्त व्यक्तियों की तरफ से उनके माता-पिता, पति / पत्नी अथवा उनके कानूनी अभिभावक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते है।

- निपुणता एवं उद्यमी विकास कार्यक्रम के लिए : व्यक्तियों को कुशल बनाने और उद्यमी विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए
 चैनेलाईजिंग एजेंसियों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।
- लघु आद्यौगिक इकाई स्थापित करने के लिए:'—
 25 लाख रूपये तक ऋण दिव्यांगजनों को निर्माण, बढ़ई एवं उत्पादन के लिए सहायता
 दी जाती है।
- सूक्ष्म वित्तीय योजना : 5 लाख रूपये तक का ऋण अशासकीय संस्था को 25,000 / रूपये तक प्रति निःशक्त व्यक्ति हेतु दिया जाता है।
- शिक्षा / प्रशिक्षण हेतु ऋण :—
 इस निगम द्वारा 10 लाख रूपये तक भारत में शिक्षा हेतु एवं 20 लाख रूपये तक विदेश में शिक्षा हेतु ऋण दिया जाता है! ऋण का भुगतान प्रशिक्षण समाप्त होने के 6 माह अथवा नौकरी मिलने पर जो भी पहले होगा।
- मानसिक मंद दिव्यांगजनों के माता—पिता द्वारा संचालित एसोसिएशन हेतु :— उक्त योजना अन्तर्गत 5 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है।

पात्रता:-

- 1. 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्त हो।
- 2. आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।

वार्षिक आय :-

- 1. शहरी क्षेत्र में 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम हो।
- 2. ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम हो।
- 3. संबंधित शैक्षिक / तकनीकी / व्यवसायिक योग्यता और अनुभव।

ब्याज दर:-

- 1. 50 हजार रूपये तक 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
- 2. 50 हजार रूपये से अधिक और 5 लाख रूपये तक 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष
- 3. 5 लाख रूपये से अधिक (शिक्षा / प्रशिक्षण हेतु ऋण) 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष
- 4. सभी ऋण 10 वर्ष के भीतर जमा किए जाएंगे।
- 5. दिव्यांग महिलाओं के लिए 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज पर छूट।
- 6. दृष्टि बाधित / श्रवण बाधित / मानसिक मंद दिव्यांग हितग्राहियों को 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट।


छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015 - 16 में दिव्यांगजनों को स्वीकृत ऋण प्रकरणों की जिलावार स्वीकृत प्रकरणों की संख्या एवं स्वीकृत राशि


| क्र. | जिला | वर्ष | 2015—16 | |
|------|------------------|-----------------|----------------|--|
| 1 | | प्रकरण | राशि (लाख में) | |
| 2 | रायपुर | 12 | 38.45 | |
| 3 | महासमुंद भारत | 24 | 66.87 | |
| 4 | धमतरी | 22 | 38.01 | |
| 5 | दुर्ग | 36 | 97.79 | |
| 6 | राजनांदगांव | 10 | 34.25 | |
| 7 | कबीरधाम | 6 | 10.95 | |
| 8 | बस्तर | 11. C 12. 14. 1 | 2.07 | |
| 9 | दंतेवाड़ा | 4 | 8.10 | |
| | कांकेर | 27 | 93.81 | |
| 10 | बिलासपुर | 27 | 111.76 | |
| 11 | जांजगीर | 18 | 56.16 | |
| 12 | कोरबा | 1 | 2.07 | |
| 13 | रायगढ़ | 17 | 44.81 | |
| 14 | जशपुर | 10 | 30.54 | |
| 15 | सरगुजा | 1 | 6.89 | |
| 16 | कोरिया | 32 | 158.18 | |
| 17. | बलौदाबाजार | 9 | 13.70 | |
| 18 | मुंगेली | 3 | 9.95 | |
| 19 | बालोद | 9 | 16.17 | |
| 20 | गरियाबंद | 2 | 4.10 | |
| 21 | बेमेतरा | 4 | 11.25 | |
| 22 | कोन्डागांव | 1 | 4.50 | |
| 23 | सुकमा | 1 | 0.95 | |
| 24 | बलरामपुर | 2 | 9.00 | |
| 25 | सुरजपुर | 1 | 1 | |
| | योग | 280 | 4.50 874.83 | |

वसूली की स्थिति 2004-05 से 2015-16 तक

| 2004-05 से | कुल हितग्राही | वितरित ऋण राशि (लाख में) | कुल वसूल की गई राशि (लाख में) | वसूली हेतु शेष राशि (लाख में) |
|------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2015—16 तक | 1943 | 4109.93 | 1260.89 | 2951.20 |
| | | | | |

छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम





CHHATTISGARH NISHAKT-JAN VITT AVAM VIKAS NIGAM

ANNUAL REPORT

2015 - 16

Chhattisgarh Nishakat Jan Vitt Avam Vikas Nigam

(A company licensed under section 25 of the Companies Act, 1956) Balance Sheet as at 31st March, 2016

| PARTICULARS | HELP H | Notes | As at 31st March, 2016 | As at 31st March, 2015 |
|--|-----------|-------|----------------------------------|---------------------------|
| I. EQUITY AND LIABILITIES | | | | |
| [1] Shareholder's Funds:- (a) Share Capital | | 4 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| (b) Reserves & Surplus | | 5 | 106,061,791.35 | 100,672,570.35 |
| [2] Non-current Liabilities (a) Long Term Borrowings (b) Other Long Term Liebilities | | 6 | 354,873,222.00 | 346,088,152.00 |
| (b) Other Long Term Liabilities [3] Current Liabilities | | | • | |
| (a) Short Term Borrowings | | | | |
| (b) Other Current Liabilities | | 7 | 7,637,564.00 | 7,507,382.00 |
| (c) Short Term Provisions | | 8 | 129,607.00 | 83,607.00 |
| | TOTAL RS. | | 518,702,184.35 | 504,351,711.35 |
| IL ASSETS | | | | |
| l] Non-current assets :- (a) Fixed Assets :- | | | | |
| (i) Tangible Assets | | | 211212 | |
| (ii) Intangible Assets | | 9 | 314,943.00 | 472,157.00 |
| [b] Non-current investments | | | | |
| [c] Long-term loans and advances | | 10 | 262 161 770 00 | |
| [d] Other non-current assets | | 11 | 262,161,770.89 118,735,214.40 | 234,493,487.00 |
| Current Assets | | | 110,755,214.40 | 110,490,726.40 |
| (a) Current investments | | | | |
| (b) Cash & bank balances | | | | |
| (c) Short-term loans and advances | | 12 | 132,419,029.06 | 154,878,566.95 |
| (d) Other current assets | | 13 | 2,843,614.00 | 1,789,161.0 |
| | TOTAL DO | 14 | 2,227,613.00 | 2,227,613.0 |
| | TOTAL RS. | | 518,702,184.35 | 504,351,711.3 |

Summary of significant accounting policies The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Place: RAIPUR Dated: 27/06/17

For and on behalf of board of Directors

As per our report of even date

For, Sanjib Jain & Associates Chartered Accountants

Firm Regn. No. 004993C

Jain & ccountants

Preetam Jain] Partner M.NO. 408432

ing Director

Chhattisgarh Nishakat Jan Vitt Avam Vikas Nigam

(A company licensed under section 25 of the Companies Act, 1956)

Income & Expenditure Statement for the year ended 31st March,2016

| PARTICULARS | Notes | For the year ended 31st March, 2016 | For the year ended 31st March, 2015 |
|---|--------|--|-------------------------------------|
| Income | | | 313t Waren, 2015 |
| Revenue from Operations | 15 | 12,198,804.00 | 1,03,54,604.00 |
| Other Income | 16 | 11,957,229.00 | 1,11,73,820.40 |
| Total Revenue | _ | 24,156,033.00 | 2,15,28,424.40 |
| Expenses | | | |
| Employee benefits expenses | | | |
| Financial Cost | 17 | 881,535.00 | 9,18,825.00 |
| Depreciation and amortisation expense | 18 | 14,945,792.00 | 51,15,661.00 |
| Other expenses | 9 | 157,214.00 | 3,18,625.00 |
| 第二年第一日 医甲基氏 医 | 19 | 2,782,271.00 | 30,51,069.00 |
| Total Expenses | _ | 18,766,812.00 | 94,04,180.00 |
| Surplus(Deficit) before exceptional and Extra-ordinary items Exceptional items | | 5,389,221.00 | 1,21,24,244.40 |
| | - | All the second of the second o | - · |
| Surplus(Deficit) before exceptional and Extra-ordinary items Tax Expenses | | 5,389,221.00 | 12,124,244.40 |
| (i) Current Tax | | | |
| (ii) Deffered Tax | | TOTAL CHARGE | of of the one |
| urplus /(Deficit) for the period | 70 e — | 5,389,221.00 | 1,21,24,244.40 |
| arnings Per equity share (EPS): | - | - | |
| asic | 20 | 10.78 | 24.25 |
| ummary of significant accounting policies | 3 | | |

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Place: RAIPUR Dated: 27/06/17

For and on behalf of board of Directors

As per our report of even date

For, Sanjib Jain & Associates Chartered Accountants

Firm Regn. No. 004993C

ging Director

Chartered Accountants tam Jain] Partner M.NO. 408432

Jain &

Chhattisgarh Nishaktjan Vitt Avam Vikas Nigam, Raipur

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

| | | Year Ended 31/03/2016 | Year Ended 31/03/2015 |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|
| A. Cash Flow from Operating Activities | | | |
| Net Profit before Tax and Extra-ordinary Items | | 5,389,221.00 | 12,124,244.40 |
| Adjusted for: | | | |
| Depreciation and Amortisation | | 157,214.00 | 318,625.00 |
| Interest Expense | | 14,941,862.00 | 5,112,624.00 |
| | | 14,541,002.00 | 3,112,02 |
| | _ | | |
| Operating Profit before working capital changes | | 2,04,88,297.00 | 17,555,493.40 |
| Adjustments for : | | | |
| (Increase) / Decrease in Other Receivables | | | |
| (Increase) / Decrease in Loans & Advances | | (31,566,350.89) | (78052736.00) |
| (Increase) / Decrease in Other current Assets | | (31,300,330.05) | (10032130.00) |
| (Increase) / Decrease in Other non-current Assets | | (8,244,488.00) | 14,748,542.60 |
| (Decrease)/ Increase in Provisions | | 46,000.00 | (55124.00) |
| (Decrease)/ Increase in other current liabilities | | 130,182.00 | (33124.00) |
| (Decrease)/ Increase in other long-term liabilities | | 130,182.00 | |
| Cash generated from Operations | - | (19,146,359.89) | (45 802 824 00) |
| Direct Taxes paid | | 2,843,614.00 | (45,803,824.00) |
| Prior Period Adjustment | | 2,015,011.00 | 1,789,161.00 |
| Net cash from/(used in) Operating Activities | [A] | (16,302,745.89) | (44,014,663.00) |
| Cash Flow from Investing Activities | | (11,012,111) | (44,014,003.00) |
| Purchase of tangible Fixed Assets | | nd has besiden an bear | |
| Purchase of intangible Fixed Assets | | | Armed No. |
| Net cash used for Investing Activities | [B] | | |
| . Cash Flow from Financing Activities | | | |
| Proceeds from Issuance of Equity Share Capital | | | |
| Proceeds/(Repayment) of Long Term Borrowings | | 8,785,070.00 | 127,325,022.00 |
| Proceeds/(Repayment) from other borrowings | | | 121,120,022.00 |
| Interest paid | | (14,941,862.00) | (5,112,624.00) |
| Net cash used in Financing Activities | [C] | -6,156,792.00 | 12,22,12,398.0 |
| Not increase/(December 2) | | | 12,22,12,390.00 |
| Net increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents [A+B+C] | | (22,459,537.89) | 78,197,735.00 |
| Cash & Cash Equivalent at the beginning of the year | | 154,878,566.95 | 76,680,831.9 |
| Cash & Cash Equivalent at the end of the year | <u> </u> | 132,419,029.06 | 154,878,566.9 |
| Notes: 1) Cash Flow Statement has been prepared as per AS-3 under Indirect 2) Figures in the brackets represents outflows. | Method. | | |

2) Figures in the brackets represents outflows.

3) Cash and Cash equivalents includes cash & balances with banks and deposits with banks.

4) Previous period figures have been rearranged/regrouped wherever necessary.

FOR AND ON BEHALF OF BOARD

Place: RAIPUR

Dated: 27/00/17

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For, Sanjib Jain & Associates Chatered Accountants

Firm Regn. No.-004993C

M.No.-408432

GING DIRECTOR



भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT Office of Accountant General (Audit), Chhattisgarh, Raipur

दिनांक 14 06 19 Date:

प्रति.

प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम पुराना डीआरडीओ बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट परिसर रायपुर (छ.ग.) 492001

विषय:—कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ब) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम के 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदया / महोदय,

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ब) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम के 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों प्रेषित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को समाविष्ट कर प्रकाशित वार्षिक लेखों की छः प्रतियाँ वार्षिक सामान्य सभा (AGM) के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त AGM कार्यवाही विवरण की एक प्रति सहित इस कार्यालय को अग्रेषित करें।

संलग्नक- यथोपरी

भवदीया,



क्रम महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) Accordingly, the Long-Term Borrowings of ₹ 34.31 crore should have been classified as secured loans and ₹ 1.18 crore should have been classified as unsecured loans. Therefore, the disclosure in notes was deficient to that extent.

Further, the Statutory Auditor also in their Report qualified the Long-Term Borrowings of ₹ 35.49 crore as unsecured loans. Therefore, the auditor's qualification is factually incorrect.

Long-Term Loans and Advances Loans to Beneficiaries (Note 10): ₹ 26.20 crore

5. The above includes ₹ 1.91 crore being the amount recoverable for more than three years from 137 beneficiaries as of March 2016. However, no provision for doubtful loans of ₹ 1.91 crore was made, due to absence of policy for identifying the non-performing assets

This has resulted in understatement of Provision for doubtful loans to beneficiaries and overstatement of Long-Term Loans and Advances as well as Surplus by ₹ 1.91 crore.

C. Other Comments

The Company held Annual General Meeting (AGM) on 10 November 2014 wherein 6. accounts for the year 2007-08 was adopted. Thereafter no AGM was held as per requirement of Section 96 (1) of the Companies Act, 2013.

Further, the fact that audited financial statements for the period from 2007-08 onwards were not adopted by the Shareholders in AGM, was also not reported by the Statutory Auditor's in their Report.

> For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India

Place: Raipur Date:

Accountant General (Audit)